

NOTIFICATION NO. 10 OF 2026

**Subject: Fee for Recognition of Additional Nursing Programme Qualification of a
University as Examining Body**

In exercise of the powers conferred under Regulation 58 of the Indian Nursing Council (Conduct of Business) Regulations, 2009, the Executive Committee of the Indian Nursing Council, in its meeting held on 13.05.2026, considered the matter relating to the fee for recognition of additional nursing programme qualifications conducted by a university functioning as an Examining Body.

The Executive Committee has approved that a fee of **Rs. 2,00,000/- (Rupees Two Lakhs only) per programme** shall be levied from a University seeking recognition of an additional nursing programme qualification beyond the B.Sc. (Nursing) qualification already recognized by the Indian Nursing Council.

Accordingly, Universities functioning as Examining Bodies and seeking recognition of additional nursing programme qualifications, including Post Basic B.Sc. (Nursing), M.Sc. (Nursing), Nurse Practitioner programmes, or any other nursing qualifications recognized by the Indian Nursing Council, shall remit the prescribed fee of Rs. 2,00,000/- per programme along with the application for recognition.

This notification shall come into force with immediate effect.

This issues with the approval of the competent authority.



Col (Dr) Sarvjeet Kaur
Secretary

Circulation:

1. INC Website – Circulars & Notifications
2. Guard File

F.No.1-6/LT/2026-INC (106904)

दिनांक: 08.06.2026

अधिसूचना संख्या 10/2026

विषय: परीक्षा प्राधिकरण के तौर पर किसी विश्वविद्यालय के अतिरिक्त नर्सिंग कार्यक्रम को मान्यता देने के लिए शुल्क

भारतीय उपचर्या परिषद् (कार्य संचालन) अधिनियम, 2009 की अधिनियम संख्या 58 के तहत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, भारतीय उपचर्या परिषद् की कार्यकारी समिति द्वारा दिनांक 13.05.2026 को हुई अपनी बैठक में, परीक्षा प्राधिकरण के तौर पर किसी विश्वविद्यालय के अतिरिक्त नर्सिंग कार्यक्रम को मान्यता देने के लिए शुल्क से सम्बद्ध मामले पर विचार किया गया।

कार्यकारी समिति ने मंजूरी दी है कि जो विश्वविद्यालय भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा पहले से मान्यता प्राप्त बी.एससी. नर्सिंग के अलावा किसी अतिरिक्त नर्सिंग कार्यक्रम के लिए मान्यता चाहता है, उससे प्रति कार्यक्रम ₹2,00,000/- (केवल दो लाख रुपये) का शुल्क लिया जाएगा।

इसके अनुसार, परीक्षा प्राधिकरण के तौर पर कार्यरत और अतिरिक्त नर्सिंग कार्यक्रम (जैसे भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त पोस्ट बेसिक बी.एससी. नर्सिंग, एम.एससी. नर्सिंग, नर्स प्रैक्टिशनर कार्यक्रम, या कोई अन्य नर्सिंग कार्यक्रम) के लिए मान्यता चाहने वाले विश्वविद्यालय को मान्यता के लिए आवेदन के साथ प्रति कार्यक्रम ₹2,00,000/- का तय शुल्क जमा करना होगा।

यह अधिसूचना तुरंत लागू होगी।

यह सक्षम अधिकारी की मंजूरी से जारी किया गया है।

सर्वजीत कौर

कर्मल (डॉ) सर्वजीत कौर
सचिव

प्रतिलिपि संचारित:

1. INC वेबसाइट - परिपत्र और अधिसूचना
2. गार्ड फ़ाइल